अक्सर पूछ जाने वाले सवालः-

जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंक (रिकॉड्र्स)

प्र. 1 सेवा मुक्त होने के बाद बच्चे के जन्म का प्रकाशन कैसे कराया जाए?

उत्तरः.

(क) सेवामुक्ति के बाद एक बच्चे के जन्म संबंधी प्रकाशन रिकॉर्ड ऑफिस में उपयुक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से निम्न दस्तावेज जमा करा कर कराया जा सकता हैः-

(1) जन्म पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।

(2) जन्म की घोषणा करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र।

(3) स्कूल का प्रमाण पत्र, जिसमें स्कूल रिकॉर्ड के विवरण, जैसेः नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि (व्यक्ति के सेवा में रहते जन्म लेने वाले और स्कील में पढ़ रहे बच्चों के लिए लागू)।

(ख) यदि दस्तावेज रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा सहीध् उचित पाए जाते हैं, तो रिकॉडर्स के प्रभारी आधिकारी की अनुमति लिए जाने के बाद आवश्यक भाग-2 प्रकाशित किया जाएगा।

प्र. 2 क्या बच्चे की जन्म तिथि में परिवर्तन का कोई प्रावधान है?

उत्तरः वर्तमान नीतियों के अनुसार, सर्विस रेकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में न हो कोई बदलाव न हो सकता और न ही किया जा सकता है।

प्र. 3 एक पूर्व सेवाकर्मी नए जिले बनाए जाने, नाम बदले जाने या किसी नए स्थान पर बसने के बाद अपने घर के पते, जिला, तहसील आदि में बदलाव कैसे करवा सकते हैं?

उत्तरः व्यक्ति को इस संबंध में पुराने जिला सैनिक बोर्डध्राज्य बोर्ड सैनिक बोर्ड को जानकारी देकर नए जिला सैनिक बोर्ड/राज्य बोर्ड सैनिक बोर्ड से संपर्क करना होगा। दस्तवेजों का सत्यापन जिला एवं राज्य सैनिक बोर्ड, दोनों के द्वारा किया जाएगा और संबंदित रेकॉर्ड में भेज दिया जाएगा। रेकॉर्ड अफसर वांछित भाग-2 को तदनुसार प्रकाशित करेंगे।

प्र. 4 सेना से सेवामुक्त होने के बाद पे एंड अलावेंसेज से संबंधित बकाया व प्रेक्षण का कैसे निपटारा किया जा सकता है ?

उत्तरः रेकॉर्ड कार्यालय में बकाया दावों के निपटान एवं आगे भुगतान की व्यवस्था हेतु एक समर्पित प्रभाग की व्यवस्था है। पे एंड अलावेंस की कोई रकम या प्रेक्षण, जिसका किसी भी कारण से निपटारा नहीं हो पाया हो, वह केन्द्र छोड़ने से पूर्व परिशिष्ट-अ, सेना आदेश संख्या 30/80 के अनुसार डिपो कंपनी के माध्यम से जमा कराया जाना चाहिए। ऐसे मामलों के निपटान एवं भुगतान की आगे जिम्मेदारी रेकॉर्ड कार्यालय की होगी। दावे के स्वीकृति योग्य नहीं पाए जाने पर रेकॉर्ड कार्यालय उक्त व्यक्ति को अस्वीकृति के कारणों के साथ सूचित करेगा।

प्र. 5 सूबेदार एवं सूबेदार मेजर रैंक के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी किए गए हैं। क्या लेफ्टिनेंट/कैप्टन के मानद रैंक को भी सक्रिय सूची (एक्टिव लिस्ट) में डाला गया है?

उत्तरः सर्विस पेंशन के दावे पीसीडीए(पी), इलाहाबाद के समक्ष कम से कम चार माह पूर्व प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) सूबेदार एवं सूबेदार मेजर रैंक के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। पीपीओ की प्राप्ति के बाद एलपीसी में संशोधन एवं इसकी उचित प्रकार से लेखा परीक्षा की जाती है और मानद कमीशनिंग के लिए अधिकृत करते हुए पेंशन पेमेंट ऑर्डर का शुद्धि पत्र जारी किया जाता है।

प्र. 6 जब अल्पावधि सूचना (शॉर्ट नोटिस) के बाद सेवामुक्ति आदेश दिया गया हो और पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी न किया गया हो?

उत्तरः सामान्यतः, सेवामुक्ति आदेश 12 महीने पूर्व जारी किए जाते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में अपरिहार्य कारणों से सेवामुक्ति आदेश अल्पावधि सूचना पर जारी किए जाते हैं। जैसेः बढ़ाई गई सेवा (परिवर्धित) के दौरान मानदंड संबंधी कमी, चिकित्सा कारण, निम्न चिकित्सकीय वर्ग में स्थायी नियुक्ति या बढ़ाई गई सेवा के दौरान रेंक इंक प्रविष्टि। नीतियों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को अल्पावधि सूचना पर सेवामुक्त होना होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उनका पीपीओ, उनके सेवामुक्त होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। रेकॉर्ड कार्यालय में एक पूरी तरह से जांची-परखी प्रणाली प्रयुक्त है, जो सेवामुक्ति लाभों के कम से कम संभव समय में संसाधन एवं स्वीकृति सुनिश्चित करती है।

प्र. 7 वैसे व्यक्ति के लिए, जिसके विकलांगता पेंशन को अधिनिर्णयन में अवीस्कृत कर दिया गया हो, क्या उपाय उपलब्ध हैं?

उत्तरः सेना के पेंशन विनियम (1961), भाग-1 के नियम 173 के अनुसार, विकलांगता पेंशन की तभी स्वीकृति दी जाती है, यदि विकलांगता सेना सेवा के कारण हुई याबढ़ी हो और उसका आकलन चिकित्सा प्राधिकारी (अमान्य मामलों को छोड़कर, जहां विकलांगता 20 प्रतिशत से कम हो सकती है) के द्वारा 20 प्रतिशत से अधिक किया जाता है। जब और जैसे, अधिनिर्णयन में विकलांगता पेंशन के दावे को अस्वीकृत किया जाता है, संबंधित व्यक्ति को अपील में जाने की सलाह के साथ सूचित कर दिया जाता है, यदि वे चाहें तो अस्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 6 महीने के भीतर अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील के लिए ऐसी अपीलें, पुनर्विचार समिति (एपीलेट कमिटी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। यदि मामले को पुनर्विचार समिति, प्रथम अपील में अस्वीकृत कर देती है, तो व्यक्ति उस अस्वीकृति के विरुद्ध दूसरी व अंतिम अपील पुनर्विचार प्रादिकरण के समक्ष पेश कर सकता है जिसे पुनर्विचार प्राधिकरण द्वारा दूसरा व अंतिम अपील माना जाएगा एवं प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

प्र. 8 डिफेंस सर्विस कोप्स (फौजी पटलन) में पुनः भर्ती होने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तरः सभी जूनियर कमीशन ऑफिसर/अन्य रैंक वाले, केन्द्र मुख्यालय या नजदीकी सीधी भर्ती के माध्यम से पुनः भर्ती होने के लिए आवेदन दे सकते हैं, यदि वे निम्न मानदंडों को पूरा करते होः

क्रम स.	**मानदंड**	**जूनियर कमीशन ऑफिसर्स**	**अन्य रैंक**
(क)	शिक्षा	मैट्रिकुलेशन या सेना प्रमाणित शिक्षा-1 (आर्मी सर्टिफिकेट एजुकेशन-1) एवं सेना प्रमाणित शिक्षा-3	मैट्रिकुलेशन या सेना प्रमाणित शिक्षा-3 (आर्मी सर्टिफिकेट एजुकेशन-3)
(ख)	आचरण	आदर्श	आदर्श या बहुत अच्छा।
(ग)	उम्र	सूबदार मेजरः 52 वर्ष के कम। नायब सूबेदार/सूबेदार /50 वर्ष से कम।	क्लर्कः 50 वर्ष से कम। अन्यः 48 से कम।
(घ)	चिकित्सकीय वर्ग (मेडिकल कैटेगरी)	एसएचएपीई-1	एसएचएपीई-1
(ड़)	रेड इंक प्रविष्टियां	जेसीओ रैंक में कोई रेड इंक प्रविष्टि नहीं।	सेवा के अंतिम पांच वर्षों में एक रेड इंक प्रविष्टि से ज्यादा नहीं एवं पूर्ण सेवाकाल में एक रेड इंक प्रविष्टि से ज्यादा नहीं।
(च)	सेवामुक्ति का कारण	सेवा पूर्णता पर या अनुकंपा आधार पर।	सेवा पूर्णता पर या अनुकंपा आधार पर।
(छ)	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट	अंतिम पांच वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में से कम से कम 3 औसत से ऊपर, और अन्य दो ऊच्च औसत (हाई एवरेज) से नीचे नहीं होना चाहिए। इन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं।
(ज)	(एसीआर)	5 वर्ष से ज्यादा नहीं।	5 वर्ष से ज्यादा नहीं।
(झ)	सेवामुक्ति एवं पुनः भर्ती के बीच का समय	कम से कम 24	लागू नहीं।

डिफेंस सर्विस कोप्र्स (डीएससी) में पुनः भर्ती होने के बाद सेना द्वारा स्वीकृत वेतन के अतिरिक्त पूर्ण वेतन एवं भत्ते, जैसा उस पद के लिए लागू हो, स्वीकृत होते हैं। दैनिक भत्ते (डेली अलावेंसेज) पेंशन एवं वेतन, दोनों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति भी प्रदान की जाती है। डीएससी ऐसे कर्मियों के उनके गृह नगर के आसपास नियुक्ति किए जाने को भी प्रयासरत्त है।

प्र. 9 यदि पेंशन वितरण एजेंसियों (बैंक एवं डीपीडीओ) द्वारा सही पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा हो तो किससे मिलें?

उत्तरः यदि डिफेंस सर्विस कोप्र्स के पीपीओ में अधिसूचित पेंशन का भुगतान न किया जा रहा हो, तो पेंशनभोगी को सर्वप्रथम संबंधित बैंक/डीपीडीओ से संपर्क करना चाहिए। यदि समस्या का तब भी समाधान न हो, पेंशनभोगी को पेंशन वितरण एजेंसी के पूर्ण विवरण के साथ अपने रेकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। पेंशनभोगी डिफेंस पेंशन लायजन सेल, द्वाराः इलाहाबाद ममुख्यालय, उपक्षेत्रः इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्र. 10 रेकॉर्ड कार्यालय के द्वारा भेजे जाने वाले पेंशन पेमेंट ऑर्डर बैंक द्वारा प्राप्त न होने की स्थिति में पेंशनभोगी को क्या करना चाहिए?

उत्तरः यह प्रत्येक पेंशनभोगी का कर्तव्य है कि सेवामुक्ति के 20 दिनों के बाद इस बाबात पूछताछ करें कि क्या पीडीए (पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी) ने पीपीओ प्राप्त किया या नहीं। यदि पीडीए ने पीपीओ प्राप्त नहीं किया है, गुमशुदगी प्रमाणपत्र रेकॉर्ड कार्यालय को जानकारी देकर पीसीडीए(पी) इलाहाबाद को भेजा जाना चाहिए।

प्र. 11 सेवामुक्ति के समय जारी किया जाने वाला डिस्चार्ज बुक (सेवामुक्ति पुस्तिका) यदि खो/गुम/फट जाए, तो क्या करना चाहिए?

उत्तरः यदि डिस्चार्ज बुक गुम हो जाए, तो व्यक्ति को अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रेकॉर्ड कार्यालय में नम्न दस्तावेजों के साथ संपर्क करना चाहिए।

(अ) असैन्य पुलिस में दर्ज कराई गई एआईआर की कॉपी।

(ब) दो पासपोर्ट आकार के फोटो एवं संयुक्त फोटो ठीक प्रकार अभिप्रमाणित।

(स) डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक (सेवामुक्ति पुस्तिका की नकल कॉपी) हेतु निवेदित आवेदन पत्र

(द) डिस्चार्ज बुक के क्षतिग्रस्त होने या फट जाने के कारण उपयोग लायक न रहने की स्थिति में फटा-पुराना डिस्चार्ज बुक रेकॉर्ड कार्यालय में डुप्लीकेट जारी किए जाने के आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।

प्र. 12 क्या एक व्यक्ति सेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सामान्य (असैन्य) नौकरी ढूंढ सकता है?

उत्तरः वैसा व्यक्ति, जिसके सेवानिवृत होने में एक साल का समय बचा हो, असैन्य नौकरी/साक्षात्कार में शामिल होने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है। अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन रेकॉर्ड कार्यालय में भेजा जाना चाहिए।

प्र. 13 कम्युटेशन अवधि के पूरा होने के बाद पूर्ण पेंशन की बाहली कैसे हो?

उत्तरः पीसीडीए(पी) के द्वारा न तो किसी पीपीओ की मांग होती है और न ही पीसीडीए(पी) या रेकॉर्ड कार्यालय के द्वारा किसी पत्र की मांग की जाती है। संबंधित व्यक्ति को अपने पीडीए से संपर्क करना चाहिए और पेंशन बहाल कराना चाहिए। किसी परेशानी की स्थिति में कृपया अपने रेकॉर्ड कार्यालय या पीसीडीए(पी) से संपर्क करें।

प्र. 14 जिस औरत का पति गुमशुदा हो, उसे क्या करना चाहिए?

उत्तरः तुरंत नजदीकी थाने में एआईआर (प्राथमिक रिपोर्ट) दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी रेकॉर्ड कार्यालय को भेजें।

प्र. 15 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ), एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (विस्तारित सामूहिक सेना बीमा प्रमाणपत्र) आदि के खो जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए?

उत्तरः थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिक रिपोर्ट की कॉपी के साथ शीघ्र इस बाबत रेकॉर्ड कार्यालय को सूचित करें।